



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 281/टीडी/2024

दिनांक: 26.12.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

1. सम्पूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-I की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), कोर 4, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।
2. आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति वेबसाइट [www.recpdcl.in](http://www.recpdcl.in) पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अर्हक है और दिनांक 26.12.2024 के आदेश द्वारा आयोग ने सम्पूर्ण भारत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-I की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के प्रति, सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि दिनांक 3.1.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के पास दिए ऊपर दिए गए पते पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आयोग ने दिनांक 7.1.2025 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टॉए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरजीत सिंह पुथी)

सचिव